

**छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)**

क्र. 2255/एफ-2-63/31/एस-2/2020,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 20/05/2025

✓ मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
जगदलपुर (छ.ग.)

विषय:- कांकेर जिले के विकासखण्ड-कोयलीबेड़ा के लघु जलाशय पी.व्ही. 92 के नहरों का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

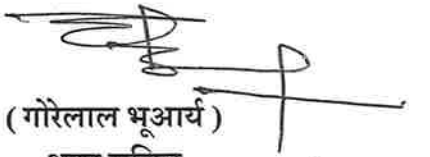
संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-1773/बोधी/RAA/2024/10650, दिनांक 29.11.2024.

--00--

राज्य शासन एतद् द्वारा कांकेर जिले के विकासखण्ड-कोयलीबेड़ा के लघु जलाशय पी.व्ही. 92 के नहरों का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि ₹ 360.19 लाख (रुपए तीन करोड़ साठ लाख उन्नीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई (198 हेक्टेयर) में 125 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष माँग संख्या-41-अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखा शीर्ष-4702 -लघु सिंचाई पर परिव्यय, {101}-सतही जल, 0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (3828)-लघु सिंचाई योजना, #97-निर्माण कार्य, 003-बाँध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक-235/बजट-2/वित्त/चार/2025 दिनांक 16.05.2025 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयवधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(गोरेलाल भूआर्य)
अवर सचिव

✓ छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 2256 /एफ-2-63/31/एस-2/2020,

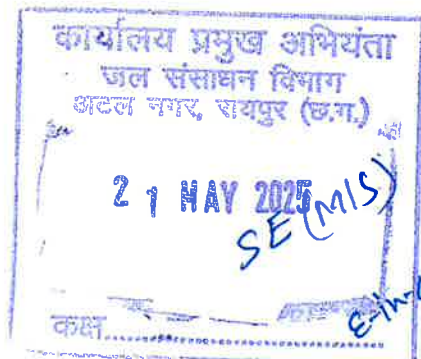
अटल नगर, दिनांक 20 /05/2025

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 4 सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 8 कलेक्टर, जिला-कांकेर (छ.ग.)।
- 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 11 मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
- 12 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 नवा रायपुर-अटल नगर।
- 13 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 14 अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मण्डल, जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)।
- 15 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कांकेर जिला-कांकेर (छ.ग.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

16 आदेश फोल्डर।



अवर सचिव
'छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग